No.I-27011/2/2017-Coord.
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110 001
Dated:14.08.2017

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of July, 2017 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Secretary to the Vice- President of India, Cabinet Secretariat, New Delhi.
3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of July, 2017"

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF JULY, 2017

(1) **Circular:-**

A circular was issued to clarify that exemption from section 143(3)(i) of Companies Act, 2013 [reporting on internal financial controls by auditors in their audit reports] given through notification dated 13th June, 2017 shall be applicable for those audit reports in respect of financial statements for financial years commencing on or after 01/04/2016, which are made by auditors after the date of such exemption notification. (General Circular No. 08/2017 dated 25.07.2017).

(2) **Notifications/Amendments in Rules:-**

(i). During the month, a draft notification under section 462 of the Companies Act, 2013 (CA-13) was laid in the Parliament with a view to amend the existing exemptions to government companies engaged in defense production from segment reporting in their annual financial statements on account of adoption of Indian Accounting Standards (Ind AS).

(ii). NCLT Rules, 2016 prescribed under Companies Act, 2013 were amended to provide for the procedural requirements/manner in which appeals or applications for restoration of name of a company, whose name was struck off from the register of companies shall be made to and approved by NCLT. (G.S.R. 840(E), dated 05.07.2017).

(iii) Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014 prescribed under Companies Act, 2013 were amended to provide exemption from appointment of independent directors (IDs) to unlisted public companies which are joint ventures, wholly owned subsidiaries and dormant companies. Consequent change in the Companies (Meetings of Board and its powers) Rules, 2014 was also made on 13th July, 2017 for providing exemption to such classes of companies from constitution of Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee. (G.S.R. 839(E), dated 05.07.2017).

(iv). The Schedule IV to the Companies Act, 2013 [Code for IDs] was also amended to provide certain exemptions from requirements of this Schedule to those Government companies for which similar requirements were separately specified by the concerned administrative Ministry/Department of the Central Government or the State Government concerned, as the case may be. (S.O. 2113(E), dated 05.07.2017).

(v). The Ministry vide notification dated 27.07.2017 has amended Rule 28 and 30 of Companies (Incorporation) Rules, 2014 to simplify the procedure of shifting of registered office from the jurisdiction of one Registrar of Companies to another Registrar within the same State and shifting of registered office from one State/Union Territory to another. (G.S.R. 955(E), dated 27.07.2017).

(3) The Companies (Amendment) Bill, 2016 (alongwith Official Amendments therein proposed by the Government) was considered and passed by the Lok Sabha on 27th July, 2017. The amended Bill, as passed by Lok Sabha, is likely to be considered by Rajya Sabha during the current Session of the Parliament.

(4) Large number of comments were received on the draft Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017. These are being examined.

(5) The Ministry had, on 28.06.2017, placed a consultative paper for public suggestions/comments regarding commencement of provisions of section 2(87) of the Companies Act, 2013 which provides for restriction on the number of layers of subsidiaries which a company may have. The suggestions/comments from the stakeholders as well as concerned Ministries/ Departments/ Regulators were sought upto 20.07.2017. The comments received are being examined and relevant rules would be revised suitably before taking a decision to publish in the Gazette.

सं. आई-27011/2/2017-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 14.08.2017

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के जुलाई, 2017 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास
(नीलरतन दास)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाषः 23389622

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का जुलाई, 2017 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास
(नीलरतन दास)

भारत सरकार का अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

जुलाई, 2017 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(1) परिपत्रः-

एक परिपत्र यह स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया था कि दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) [लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्टों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट] से दी गई छूट दिनांक 01/04/2016 से या उसके बाद प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में उन लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर लागू होगी, जो इस छूट की अधिसूचना की तारीख के बाद लेखापरीक्षकों द्वारा तैयार की जाती हैं। (सामान्य परिपत्र सं.08/2017, दिनांक 25.07.2017)।

(2) अधिसूचनाएं/नियमों में संशोधनः-

(i) माह के दौरान, रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) अपनाने के कारण उनके वार्षिक वित्तीय विवरणों में खंड रिपोर्टिंग से वर्तमान छूट में संशोधन करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) की धारा 462 के तहत एक मसौदा अधिसूचना संसद पटल पर रखी गई।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 में विहित एनसीएलटी नियम, 2016 में उन प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं/रीति का प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया जिनमें कंपनी के रजिस्टर से हटाई गई कंपनियों के नाम को पुनः लिखवाने के लिए अपीलें या आवेदन किए जाएंगे और एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। (सा.का.नि.840(अ), दिनांक 05.07.2017)।

(iii) उन असूचीबद्ध कंपनियों, जो संयुक्त उद्यम, पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगियों और निष्क्रिय कंपनियां हैं, को स्वतंत्र निदेशक (आईडी) नियुक्त करने से छूट देने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विहित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 में संशोधन किए गए। ऐसी श्रेणियों की कंपनियों को लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से छूट देने के लिए दिनांक 13 जुलाई, 2017 को कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 में संशोधन किए गए थे। (सा.का.नि.839(अ), दिनांक 05.07.2017)।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV [स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता] में उन सरकारी कंपनियों को इस अनुसूची की अपेक्षाओं से कुछ छूट देने के लिए संशोधन किए गए थे जिनके लिए इस तरह की अपेक्षाएं केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा पृथक रूप से विनिर्दिष्ट की गई थी। (का.आ.2113(अ), दिनांक 05.07.2017)।

(v) मंत्रालय ने दिनांक 27.07.2017 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 28 और नियम 30 में पंजीकृत कार्यालय को उसी राज्य में एक कंपनी रजिस्ट्रार से दूसरे कंपनी रजिस्ट्रार में स्थानांतरित करने और पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य/संघ राज्य से दूसरे में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संशोधन किए गए। (सा.का.नि.955(अ), दिनांक 27.07.2017)।

(3) कंपनी (संशोधन)विधेयक, 2016 (उसमें सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिकारिक संशोधनों सहित) पर विचार किया गया और लोकसभा द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2017 को पारित किया गया। लोकसभा द्वारा पारित संशोधित विधेयक पर संसद के चालू सत्र के दौरान राज्य सभा द्वारा विचार किए जाने की संभावना है।

(4) मसौदा कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 पर बड़ी संख्या में टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। इनकी जांच की जा रही है।

(5) मंत्रालय ने 28.06.2017 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87), जो किसी कंपनी की एक से अधिक अनुषंगियों की संख्या पर रोक लगाने के लिए प्रावधान करती है, के प्रावधानों को प्रारंभ करने के संबंध में जनता के सुझाव/टिप्पणियों के लिए एक परामर्शी दस्तावेज रखा है। हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/नियामकों से दिनांक 20.07.2017 तक टिप्पणियां मांगी गई थी। प्राप्त टिप्पणियों की जांच की जा रही है और प्रासंगिक नियमों को राजपत्र में प्रकाशित करने का निर्णय लेने से पूर्व उचित रूप से संशोधित किया जाएगा।